कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 30 /1–7(8) देहरादून दिनांक 24,जून, 2022.

नियुक्ति/ तैनाती

उत्तरांचल शासन, कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 849/ का0–2–2002 दिनांक 23.08.2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तरांचल (उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) का अनुकूलन एवं उपान्तरण नियमावली, 2002 में निहित निर्देशों/प्रतिबन्धों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी में तैनात **श्री सुरेन्द्र सिंह धानिया, वन दरोगा जिनकी दिनांक 27.10.2020 को सेवाकाल में मृत्यु हो गयी थी, की पत्नी श्रीमती कल्पना देवी** को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर **वेतनमान रू0 21700–69100 लेवल–3** में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थाई रूप से **नियुक्ति कर तैनाती मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून** के कार्यालय में निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन की जाती है:–

1. यह नियुक्ति नितांत अस्थाई है तथा बिना किसी पूर्व नोटिस के कभी भी समय समाप्त की जा सकती है।
2. कनिष्ठ सहायक के पद पर सेवायोजित करने हेतु वांछित योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यथा शैक्षिक योग्यता (हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट),आयु प्रमाण पत्र तथा आरक्षित वर्ग होने की दशा में जाति प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा।
3. उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करने से पूर्व **श्रीमती कल्पना देवी** को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सभी सदस्यों के भरण– पोषण हेतु उत्तरदायी होगें।
4. यह नियुक्ति मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के प्राविधानों अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के परिवार के भरण–पोषण की व्यवस्था के उद्देश्य से की गई है। भविष्य में यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि मृतक आश्रित द्वारा परिवार के सदस्यों का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
5. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के **20 दिन** के अन्दर कार्य पर उपस्थित होना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
6. पदभार ग्रहण करने के पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र तथा राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. **कार्मिक को 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।** प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि किसी निर्दिष्ट दिनांक तक के लिए बढायी जा सकती है।
8. इस नियुक्ति की शेष शर्ते व नियम वही होंगे जो समय–समय पर इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किये गये हैं अथवा किये जायेंगे, अभ्यर्थी को उनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। नियुक्ति/तैनाती के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. इस नियुक्ति के पश्चात नियुक्ति संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत/अनियमितता के लिए वह स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,

सं0 2157 /1–7(8) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्रीमती कल्पना देवी पत्नी स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह धानिया, ग्राम व पो0–धर्मावाल, तहसील–विकास नगर देहरादून को उनके आवदेन पत्र दिनांक 27–05–2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (रजिस्टर्ड डाक)
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. गार्ड बुक।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,